तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./12620 व 12623/2004/जयपुर मुरलीधर बनाम मनभरीदेवी	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री श्यामबाबू पारिक, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 17.01.2023

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या–79/2004 एवं 80/2004 बउनवानी मनभरी वगैरहा बनाम किरणदेवी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत उक्त अपीलों में उभयपक्ष को सुनकर धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया गया है।

दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने से विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों निगरानी प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए मुख्य रूप से तर्क कि जिस विक्रयपत्र के आधार पर अप्रार्थी पक्षकार बनना चाहते है, उसके सम्बन्ध में कभी भी रामेश्वर के नाम नामान्तरकरण नहीं खुला एवं नामान्तरकरण नहीं खोलने की कार्यवाही के विरूद्ध उसने सक्षम न्यायालय में अपील की थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा दिनांक 21–4–1998 को खारिज कर दी। रामेश्वर फौत हो गया और उसके वारिसान को भी पक्षकार नहीं बनाया है। अप्रार्थी का धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रार्थनापत्र भी खारिज हो गया। विचारण न्यायालय ने सरसरी तौर पर ही आदेश पारित किया है और प्रार्थी द्वारा उठाये उज्रात का कोई उल्लेख नहीं किया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./12620 व 12623/2004/जयपुर मुरलीधर बनाम मनभरीदेवी	नम्बर व तारीख

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आदेश अपास्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क किया कि अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 5 के पूर्वज रामेश्वर विवादित जमीन के खरीददार है और खरीददार होने से आवश्यक पक्षकार है, उन्हें सुने बिना विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गयी है, जिससे वे व्यथित पक्षकार है और डिक्री की जानकारी होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् आदेश से धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी को स्वीकार किया गया है। अतः दोनों निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संशोधित ''उनवान शीर्षक'' दोनों निगरानी प्रकरण के दिनांक 16–1–2023 प्राप्त हुए, जिसे दोनों पत्रावलियों में संलग्न किया जावे।

प्रस्तुत प्रकरण में निगराकार ने यह उल्लेख किया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के बारे में विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12–9–2000 को एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 21–5–2001 को जारी हुई थी और उस डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो गया, कोई प्रकरण विवाद शेष नहीं रहा। अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 5 के पूर्वज रामेश्वर द्वारा विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन नामान्तकरण खारिज हो गया और उसके विरूद्ध की गयी अपील भी उपखण्ड अधिकारी, आमेर के यहां से दिनांक 21–4–1998 को खारिज हो गयी और रामेश्वर के समस्त वारिसान आवश्यक पक्षकार थे, उन्हें पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की है और रामेश्वर ने धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का आवेदन भी किया, जो भी खारिज हो गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई विवेचन किये बिना ही सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है। जब अभिलेख पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का था, तो उस पर विस्तृत विवेचन करते हुए और विपक्षी द्वारा उठाये गये उज्रात का विवेचन करते हुए ही आदेश किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। सरसरी तौर पर किया गया, आदेश उचित नहीं होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रकरण स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या–79/2004 एवं 80/2004 बउनवानी मनभरी वगैरहा बनाम किरणदेवी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10–06–2004 को अपास्त किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./12620 व 12623/2004/जयपुर मुरलीधर बनाम मनभरीदेवी	नम्बर व तारीख
	उठाये उजरात पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर, उनके तर्को का उल्लेख करते हुए और तर्को के सम्बन्ध में सकारण आदेश पुनः पारित करें। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में दिनांक 22-02-2023 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर को भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	